


कार्यालय आदेश

विषय:- राजस्थान आवासन मंडल की योजनाओं में आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थानिक आदि प्रयोजनार्थ मंडल द्वारा आवंटित/विक्रय/निलाम किये गए रिक्त भूखण्डों पर भवन निर्माण स्वीकृति के सम्बन्ध में ।


राजस्थान आवासन मंडल की विभिन्न योजनाओं में मंडल द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ आवंटित/विक्रय/निलाम किये गये रिक्त भूखण्डों पर भवन निर्माण स्वीकृति दिये जाने हेतु, जयपुर हेतु लागू जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम के तहत एवं जयपुर के अतिरिक्त अन्य नगरों/कस्बों की योजनाओं हेतु मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2000 के तहत अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मंडल को प्राधिकृत किया जाता है। आवासन मंडल की योजनाओं (स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण से पूर्व तथा उपरान्त) में उक्त भवन विनियमों के प्रावधानों के तहत संबंधित पत्रावली पर आवासन आयुक्त की अनुमति उपरान्त एवं भवन निर्माण अनुमति बाबत निर्धारित शुल्क सम्बन्धित वृत्त कार्यालय के माध्यम से जमा होने के पश्चात् अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक द्वारा भवन मानचित्र जारी किये जावेंगे।

उक्त आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है।

  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, नगरिय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक विधि/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. अति.मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय
9. अति.मुख्य अभियन्ता (पी. एण्ड एम.)
10. उप आवासन आयुक्त, जयपुर प्रथम/द्वितीय/तृतीय
11. उप आवासन आयुक्त जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/अलवर
12. मास्टर फाईल।

  
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक